

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक:- 4/कार्या.स्था./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक / /2018

:: आदेश ::

उप सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र. 2168/1324/2017/मेडि-1, दिनांक 19.09.2017 में दिये गए निर्देशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 24186/2003 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2017 के परिपालन में डॉ. अनसुईया परस्ते, सेवानिवृत्त तत्कालीन संचालक, स्थानीय कार्यालय का वेतन नियमन प्रोफार्मा पदोन्नति अंतर्गत निम्नानुसार किया जाता है :-

डॉ. अनसुईया परस्ते, सेवानिवृत्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें।						
पूर्व में प्रवर श्रेणी वेतनमान में प्राप्त हो रहा वेतन (4100-125-4850-150-5300)	दिनांक 07.07.1992 में सीएमएचओ पद पर पदोन्नति उपरांत वेतनमान में वेतन (3200-100-3500-125-4625)	दिनांक 07.07.1992 में संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति उपरांत वेतनमान में वेतन (3700-125-4700-150-5000)	रिमार्क			
07-07-92	4350	07-07-92	4250+100 P.P 22 a (II)	07-07-92	4325+ 25 P.P 22 a (II)	काल्पनिक
01-01-93	4475	---	---	01-01-93	4450	काल्पनिक
01-01-94	4600	---	---	01-01-94	4575	काल्पनिक
01-01-95	4725	---	---	01-01-95	4700	काल्पनिक
01-01-96	4850	---	---	01-01-96	4850	काल्पनिक
01-01-97	5000	---	---	01-01-97	5000	काल्पनिक
				म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के अंतर्गत दिनांक 01.01.96 में वेतनमान एवं वेतन (12000-375-16500)		रिमार्क
म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के अंतर्गत वेतनमान में वेतन (14300-400-18300)				01-01-1996	13125	काल्पनिक
07-07-1997 (विकल्प के आधार पर)	14700	---	---	17-10-1996 पदोन्नति संचालक पद पर (18400-500-22400)	18400	काल्पनिक
01-01-1998	15100	---	---	17-10-1997	18900	काल्पनिक
01-01-1999	15500	---	---	17-10-1998	19400	काल्पनिक
01-01-2000	15900	---	---	17-10-1999	19900	काल्पनिक
01-01-2001	16300	---	---	17-10-2000	20400	काल्पनिक
01-01-2002	16700	---	---	17-10-2001	20900	काल्पनिक
01-01-2003	17100	---	---	17-10-2002	21400	काल्पनिक

1811

निरंतर.....2

23-12-2003 पदोन्नति संचालक पद पर (18400-500- 22400) एवं कार्यभार ग्रहण दिनांक 21.10.2004	18400	—	—	17-10-2003	21900	काल्पनिक
		—	—	17-10-2004	22400	काल्पनिक
सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2005						

नोट :- सेवानिवृत्ति उपरांत डॉ. अनसुईया परस्ते को वास्तविक लाभ पेंशन में प्रदाय किया जावेगा।

॥
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक:- 4 / कार्या.स्था. / सेल-5 / 2018 / 1805

भोपाल, दिनांक 18/09 /2018

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
6. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
7. संचालक, कमला नेहरू गैस राहत चिकित्सालय, भोपाल।
8. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, स्थानीय कार्यालय।
9. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग जबलपुर/भोपाल।
10. डॉ. अनसुईया परस्ते, तत्कालीन सेवानिवृत्त संचालक, ए-283, मिनाल रेसिडेन्सी, जे.के. रोड, भोपाल।
11. डॉ. एस.पी. सिंह, संयुक्त संचालक, लीगल शाखा, स्थानीय कार्यालय।
12. संभागीय पेंशन अधिकारी, पेंशन कार्यालय, भोपाल।
13. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, कोषालय भोपाल।
14. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
15. प्रशासकीय अधिकारी, पेंशन शाखा, स्थानीय कार्यालय।
16. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक प्रशासन/अपर संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
17. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. कार्यालय स्थापना शाखा, सेल-2/पेंशन सेल की ओर लेख है कि संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आदेश प्रविष्टि हेतु।
19. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

ॐ
18/9/18
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश